



पशु आहार संयंत्र, पचामा, जिला सीहोर-466001 (म.प्र.)

CATTLE FEED FACTORY, PACHAMA, SEHORE -466001 (M.P.)

Mo. No. 9424053971 , 9589625016

E-mail : cff.pachama@gmail.com

H.O.: Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit Habibganj Bhopal (MP) 462024

Phone : 0755- 2478250/51/52/53.

Fax no.: 0755- 2450896 E.mail: misbsds@yahoo.com

GST No. 23AAAAB0221D1ZW

QMS ISO 9001:2015

क्रमांक/1550 /पआसं/पचामा/2023

दिनांक 21.03.2023

द्वितीय ई-निविदा

: दो वर्ष हेतु शीघ्र (मोलासेस) परिवहन निविदा सूचना :-

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल की इकाई पशु आहार संयंत्र पचामा (जिला सीहोर) हेतु ई-टेन्डर द्वारा आन लाईन निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। आन लाईन दरें दिनांक **22.03.2023** सुबह **11.00** बजे से **01.04.2023** शाम **04:30** बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र ई-निविदा पोर्टल www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही जारी किए जावेंगे इसका पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। अन्य जानकारी हेतु www.sanchibhopal.com पर लॉग आन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सुदाना
पशु आहार

सबसे कम कीमत
पर सबसे अच्छा पशु
आहार

पशु आहार संयंत्र पचामा, जिला सीहोर

द्वितीय ई-निविदा

दो वर्ष हेतु
मोलासेस परिवहन दर ई-निविदा

दिनांक

22-03-2023

CATTLE FEED FACTORY PACHAMA, SEHORE (M.P.)

Phone No. : 9424053971 , 9589625016

E-mail : cff.pachama@gmail.com

**UNIT OF BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
DAIRY PLANT, DUGDHA MARG: HABIBGANJ: BHOPAL (M.P.)**

-: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :-

S.No.	Prose's Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date	22.03.2023 / 11.00
2	Purchase of Tender End Date	01.04.2023 / 04.30
3	Bid Submission End Date	01.04.2023/ 04.30
4	Mandatory Submission Open Date	03.04.2023/ 12.00
5	Financial Bid Open Date	05.04.2023 / 01.30

अमानत राशि :- रूपये 25000 /- (रूपये पच्चीस हजार मात्र)
आनलाईन जमा करना अनिवार्य है

प्रतिभूति राशि :- रूपये 275000 /-
(रूपये दो लाख पचत्तर हजार मात्र)
अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो **CATTLE FEED
FACTORY PACHAMA** के पक्ष में देय हो संलग्न
करना अनिवार्य है।

निविदा खोलने का स्थान :- भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल (म.प्र.)

**प्रभारी महाप्रबंधक
पशु आहार संयंत्र पचामा**

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.)
पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर

: मोलासेस परिवहन निविदा शर्त :

1. मोलासेस परिवहन निविदा की दरें ई-निविदा के माध्यम से आनलाईन स्वीकार होगी।
2. परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्तें मान्य होगी।
3. परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात तुरन्त प्रभावशील मानी जावेगी। महाप्रबंधक आवश्यकतानुसार मोलासेस की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकृत है।
4. परिवहनकर्ता को शक्कर कारखाने से प्राप्त एक्सार्डज गेट पास एवं अन्य संबंधित कागजात अनलॉडिंग के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
5. यह निविदा दो वर्ष की अवधि के लिये आमंत्रित की जा रही है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक करके दो वर्ष के लिये कार्य अवधि ओर बढ़ाई जा सकेगी।
6. परिवहनकर्ता द्वारा टेंकर में शक्कर कारखाने से जितनी मात्रा एवं गुणवत्ता का शीरा प्राप्त किया जावेगा उतनी ही मात्रा एवं गुणवत्ता का शीरा पशु आहार संयंत्र-पचामा जिला सीहोर में सुपुर्द करना होगा। शीरा "ए" ग्रेड की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी होने पर वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी।
7. परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. आदेशित मात्रा परिवहन के दौरान 4 बराबर भागो के परिवहन उपरांत उक्त मात्रा के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा।
9. इनकम टैक्स, जी.एस.टी. व अन्य टैक्स की वसूली एवं सरकार द्वारा उस समय अन्य कोई टैक्स लगाने पर परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जावेगी।
10. परिवहनकर्ता द्वारा शीरा "ए" ग्रेड की आवंटित पूर्ण मात्रा समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है तो संस्था द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
11. परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के पश्चात टेंकर शक्कर कारखाने में शीरा परिवहन हेतु नहीं भेजे जाते हैं, तो पशु आहार संयंत्र-पचामा जिला सीहोर द्वारा अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि जप्त की जावेगी तथा अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जावेगा।
12. परिवहनकर्ता को ट्रांजिट बीमा पशु आहार संयंत्र-पचामा जिला सीहोर के पक्ष में करवाना होगा। जिसके प्रीमियम का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जावेगा।
13. प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र-पचामा जिला सीहोर परिवहन कार्य निर्धारित शर्तों के अनुसार परिवहनकर्ता से कराने हेतु अधिकृत है।
14. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन पशु आहार संयंत्र तक पहुँच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।

15. परिवहनकर्ता के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है। निविदाकर्ता उक्त दस्तावेज बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक को समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें।
16. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा अच्छी हालत में होना चाहिये।
17. परिवहन के दौरान मार्ग में किसी भी प्रकार के नुकसान, कमी आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
18. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) **ONLINE** जमा किया जाना अनिवार्य है।
19. अनुबंध पत्र (इकरार नामा) निष्पादित करने के पूर्व संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा प्रतिभूति राशि (सिक्क्यूरिटी डिपॉजिट) के मद में रुपये 300000/- (रुपये तीन लाख मात्र) जमा करना आवश्यक होगा। निविदा के साथ जमा अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा।
20. डिटेंशन चार्जस का भुगतान किसी भी परिस्थिति में परिवहनकर्ता को नहीं किया जावेगा।
21. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना 9 मै. टन भार के अनुसार की जावेगी।

क्रमांक

01

वाहन का प्रकार

टैंकर,

औसत प्रति लीटर

04

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

22. निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल को है।
23. दर अनुमोदन के पश्चात् रु0 1000 के नान ज्यूडीशियल स्टाम पेपर पर परिवहन के पूर्व अनुबंध सम्पादित करना होगा।
24. प्रदायक/निविदाकर्ता द्वारा वस्तु का प्रदाय निर्धारित तिथि पर हो इस बात का कडाई से पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश के कियान्वयन में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में आदेश को निरस्त करने एवं प्रदायक की जोखिम एवं व्यय पर अन्य साधनों से सेवा प्राप्त करने का दुग्ध संघ एमपीसीडीएफ को अधिकार होगा। निविदा में वर्णित शर्तों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने की दशा में क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी।

क्र०	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस तक	लागत का 2 प्रतिशत
3.	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

सेवा प्रदायक द्वारा सेवा का प्रदाय निर्धारित मापदण्ड अनुसार हो इस बात का कडाई से पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश के कियान्वयन में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में आदेश को निरस्त करने एवं प्रदायक की जोखिम एवं व्यय पर अन्य साधनों से सेवा प्राप्त करने का दुग्ध संघ एमपीसीडीएफ को अधिकार होगा।

25. किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

**हस्ताक्षर
परिवहनकर्ता**

नाम :

पता :

मोबाईल नम्बर :

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
:: इकाई:: पशु आहार संयंत्र-पचामा जिला सीहोर

क्र०	स्थान	दर (रुपये प्रति मैट्रिक टन)	
		अंको में	शब्दों में
1.	मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर बुरहानपुर (म०प्र०) से पशु आहार संयंत्र-पचामा जिला सीहोर हेतु मोलासेस परिवहन दर		